अध्याय–1

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 31 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की कुल संख्या 103 थी ***(परिशिष्ट–1.1)***, जैसा कि तालिका 1.1 में दर्शाया गया हैः

तालिका 1.1: 31 मार्च 2017 को पीएसयू की संख्या

पीएसयू का प्रकार	कार्यरत पीएसयू	अकार्यरत पीएसयू[1]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[2]	51	46	97
सांविधिक निगम	6	शून्य	6
योग	**57**	**46**	**103**

स्रोत : पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

31 दिसम्बर 2017 तक 57 कार्यरत पीएसयू तथा 46 अकार्यरत पीएसयू में से मात्र 33 कार्यरत पीएसयू तथा सात अकार्यरत पीएसयू[3] ने वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लिए अपने लेखाओं का अन्तिमीकरण किया था ***(परिशिष्ट–1.2)***। इन 40 पीएसयू के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, इनमें से 22 पीएसयू[4] ने ₹ 963.97 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 17 पीएसयू[5] ने ₹ 19,299.56 करोड़ की हानि उठाई तथा शेष एक पीएसयू[6] ने कोई लाभ या हानि न होने की सूचना दी। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इन पीएसयू ने 31 दिसम्बर 2017 तक ₹ 88,036.52 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। शेष 63 पीएसयू, जिनके द्वारा लेखाओं का अंतिमीकरण नही किया गया है, द्वारा की गयी हानि यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका।

22 पीएसयू, जिनमें राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,09,996.96 करोड़ का निवेश किया गया था, के द्वारा वर्ष 2014–15 से 2016–17 की अवधि में ऋण की औसत लागत दर 6.52 प्रतिशत के सापेक्ष राज्य सरकार के निवेश पर 19 प्रतिशत का नकारात्मक निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) अर्जित किया गया जिससे समस्त निवेश की सम्पूर्ण हानि हो गयी। इस प्रकार, 22 पीएसयू में निवेश के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक कोष को, उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों (2014–17 की अवधि में) के अनुसार ₹ 11,920.32 करोड़ की कुल हानि (नकारात्मक प्रतिफल एवं ऋण की औसत लागत दर के आधार पर) हुई।

31 मार्च 2017 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 1,12,784 कर्मचारी थे (50 कार्यरत पीएसयू में 1,11,901 तथा 11 अकार्यरत पीएसयू में 883)। अकार्यरत पीएसयू में तीन वर्षों से अधिक समय से कोई कार्यकलाप नहीं था और उनमें ₹ 1,829.46 करोड़ का निवेश था।

संस्तुतिः

चूँकि हानि वहन करने वाले एवं अकार्यरत पीएसयू के निरन्तर अस्तित्व में बने रहने से सार्वजनिक कोष से पर्याप्त मात्रा में निकास होता है, राज्य सरकार (i) सभी हानि वहन करने वाले पीएसयू के कार्यकलापों की समीक्षा, (ii) अकार्यरत पीएसयू की स्थिति की समीक्षा, उनके समापन की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने/शीघ्रता लाने हेतु, एवं (iii) इस

---

[1] ऐसे पीएसयू जहाँ पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से कोई कार्यकलाप नहीं था

[2] कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45), 139(5) एवं 139(7) में सन्दर्भित कम्पनियां

[3] **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या स 15, स 18, स 20, स 27 तथा स 31 से स 33 तक।

[4] **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या अ 1, अ 3, अ 5, अ 12, अ 14, अ 15, अ 18 से अ 20, अ 22, अ 32, अ 34, अ 37, अ 39, अ 43, ब 1, ब 2, ब 4, ब 6, स 15, स 18 तथा स 20

[5] **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या अ 7, अ 16, अ 17, अ 25, अ 27 से अ 31, अ 35, अ 36, अ 42, अ 45, स 27, स 31, स 32 और स 33

[6] जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का एक मात्र पावर प्लान्ट निर्माण अवस्था में है। अतः वहां कोई लाभ अथवा हानि नहीं थी

बात का आकलन कि क्या अकार्यरत पीएसयू के कर्मचारियों को रिक्तियों वाले सरकारी विभागों में रिवर्स प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है, जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है, कर सकती है।

जवाबदेही तंत्र

1.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 तथा 143 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा पर लागू होती है। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) की नियुक्ति की जाती है तथा इन कम्पनियों के संबंध में अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों द्वारा अधिशासित होती है, जैसा कि नीचे तालिका 1.2 में वर्णित है :

तालिका 1.2: सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा हेतु विधान

क्र0 सं0	सांविधिक निगम का नाम	सीएजी को लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	राज्य भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा लेखापरीक्षा एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा
2	उत्तर प्रदेश वन निगम	उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा 23(2)	एकमात्र सीएजी के द्वारा लेखापरीक्षा
3	उत्तर प्रदेश वित्त निगम	राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा लेखापरीक्षा एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा
4	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1)	एकमात्र सीएजी के द्वारा लेखापरीक्षा
5	उत्तर प्रदेश जल निगम	सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1)	एकमात्र सीएजी के द्वारा लेखापरीक्षा
6	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	एकमात्र सीएजी के द्वारा लेखापरीक्षा

सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं, जो, सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत इन्हें विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करते।

1.3 इन पीएसयू के मामलों पर, जिनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं बोर्ड के निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन प्रशासकीय विभागों, द्वारा नियंत्रण रखा जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

1.4 पीएसयू में राज्य सरकार की हिस्सेदारी तीन व्यापक श्रेणियों के अन्तर्गत आती है, जैसे अंशपूंजी एवं ऋण, उपभोक्ताओं को अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में विशिष्ट बजटीय सहायता तथा पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की प्रत्याभूति।

राज्य के पीएसयू में निवेश

1.5 तालिका 1.3 में दिये गये विवरण के अनुसार 31 मार्च 2017 को, 103 राज्य पीएसयू में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य[7] के द्वारा किया गया निवेश (अंशपूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,39,019.94 करोड़ का था (आगे का विवरण ***परिशिष्ट–1.1)*** में दिया गया है)।

[7] वित्तीय संस्थाएं एवं अन्य पीएसयू

तालिका 1.3: 31 मार्च 2017 को पीएसयू में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

पीएसयू का प्रकार	अन्तिमीकृत लेखों की स्थिति	पूंजी			दीर्घावधि ऋण			कुल योग
		राज्य सरकार	अन्य[8]	योग	राज्य सरकार	अन्य[9]	योग	
कार्यरत पीएसयू	2014–15 से 2016–17[10]	98,355.54	49,306.79	1,47,662.33	11,163.52	74,170.11	85,333.63	2,32,995.96
	2014–15 से पूर्व	2,933.00	178.97	3,111.97	604.01	478.54	1,082.55	4,194.52
उप–योग		**1,01,288.54**	**49,485.76**	**1,50,774.30**	**11,767.53**	**74,648.65**	**86,416.18**	**2,37,190.48**
अकार्यरत पीएसयू	2014–15 से 2016–17	214.46	494.97	709.43	263.44	28.06	291.50	1,000.93
	2014–15 से पूर्व	214.35	134.52	348.87	297.98	181.68	479.66	828.53
	उप–योग	**428.81**	**629.49**	**1,058.30**	**561.42**	**209.74**	**771.16**	**1,829.46**
कुल योग		**1,01,717.35**	**50,115.25**	**1,51,832.60**	**12,328.95**	**74,858.39**	**87,187.34**	**2,39,019.94**

स्रोत : लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार/पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

1.6 31 मार्च 2017 को, राजकीय पीएसयू में निवेश का क्षेत्रवार सारांश तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: पीएसयू में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	कार्यरत पीएसयू		अकार्यरत पीएसयू		कुल	कुल निवेश	पिछले पाँच वर्षों में निवेश
	तीन वर्षों के लेखा सहित	तीन वर्षों के लेखा बिना	तीन वर्षों के लेखा सहित	तीन वर्षों के लेखा बिना			
ऊर्जा	11	1	2	1	15	2,27,779.67	1,36,393.21
विनिर्माण	5	4	5	14	28	4,497.48	925.23
अवसंरचना	6	2	0	3	11	3,633.26	3,243.04
वित्त	1	5	0	2	8	1,894.26	275.62
सेवा	4	8	0	12	24	1,075.53	304.22
समाज कल्याण एवं कृषि	5	5	0	7	17	139.74	10.93
योग	**32**	**25**	**7**	**39**	**103**	**2,39,019.94**	**1,41,152.25**

स्रोत : लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार/पीएसयू द्वारा दी गई सूचना।

पीएसयू में राज्य सरकार के निवेश का जोर ऊर्जा क्षेत्र में था जो कि वर्ष 2011–12 में ₹ 45,607.46 करोड़ (91.21 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2016–17 में ₹ 1,06,118.31 करोड़ (93.05 प्रतिशत) हो गया। उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 85,935.80 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 10110.43 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 9,572.93 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के तीन पीएसयू थे जिनमें राज्य सरकार द्वारा प्रमुखतः निवेश किया गया था। केवल वर्ष 2012–17 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा इन तीन प्रमुख पीएसयू में ₹ 60,590.36 करोड़ का निवेश किया गया।

---

[8] केन्द्र सरकार की अंशपूंजी तथा आठ सूत्रधारी कम्पनियों द्वारा उनकी 20 सहायक कम्पनियों में निवेश शामिल है

[9] केन्द्र सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण शामिल है

[10] कम से कम वर्ष 2014–15 तक अन्तिमीकृत लेखे

1.7 वित्त लेखे[11] तथा पीएसयू के अभिलेखों में दर्शाये गए सरकार की इक्विटी एवं ऋणों के आंकड़ों में अन्तर को तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5: 31 मार्च 2017 को अदत्त इक्विटी तथा ऋण			
			(₹ करोड़ में)
निवेश	वित्त लेखे के अनुसार[12]	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार	अन्तर[13]
इक्विटी	1,01,863.84	1,01,717.35	146.49
ऋण	13,160.88	12,328.95	831.93
स्रोत : पीएसयू द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वित्त लेखे, उत्तर प्रदेश शासन, 2016–17			

वित्त लेखे तथा पीएसयू के अभिलेखों में राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों से सम्बन्धित आंकड़ों के मध्य अन्तर को तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6: 31 मार्च 2017 को अदत्त प्रत्याभूतियाँ			
			(₹ करोड़ में)
अदत्त प्रत्याभूतियाँ	वित्त लेखे के अनुसार	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार	अन्तर
	52,883.80	52,843.82	39.98[14]
स्रोत : पीएसयू द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वित्त लेखे, उत्तर प्रदेश शासन, 2016–17			

संस्तुतिः

वित्त विभाग, प्रशासनिक विभाग एवं पीएसयू, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी– I) के साथ आंकड़ों में अन्तर का समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठा सकते हैं।

1.8 अकार्यरत पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी की स्थिति तालिका 1.7 में बताई गयी है।

तालिका 1.7: अकार्यरत पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी की स्थिति		
		(₹ करोड़ में)
विवरण	पीएसयू की संख्या	धनराशि
नाममात्र[15] अथवा शून्य सरकारी हिस्सेदारी	20	2.89
अकार्यरत पीएसयू जहाँ कोई व्यय नहीं है	0	0
2014–15 से 2016–17 की अवधि में प्राप्त इक्विटी ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी	3[16]	7.03
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीएसयू को दिये अदत्त ऋण जिन पर विगत पाँच वर्षों से ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है	21	368.77
स्रोत : पीएसयू द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वित्त लेखे, उत्तर प्रदेश शासन, 2016–17		

संस्तुतियांः

1. **उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) को ऐसे सभी पीएसयू, जहां इसकी हिस्सेदारी नाम मात्र की है, के समापन/विनिवेश हेतु समीक्षा करनी चाहिए।**
2. **चूंकि 21 अकार्यरत पीएसयू, जिन्होंने ऋणों पर ब्याज तक का भी भुगतान नहीं किया है, द्वारा ऋणों के पुर्नभुगतान की संभावना बहुत कम है, यदि अस्तित्व में है तो जीओयूपी को पुराने ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने अथवा अपलिखित करने पर विचार करना चाहिये एवं जब तक कि यह समीक्षा नहीं हो जाती है कि**

---

[11] राज्य के वित्त लेखे (2016–17), उत्तर प्रदेश शासन के विवरण संख्या 19 एवं 18 में अधिक विवरण उपलब्ध हैं

[12] उक्त सूचना 103 पीएसयू से सम्बन्धित है जैसा कि वित्त लेखों में प्रदर्शित है

[13] अन्तर का मुख्य कारण ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन एवं ब्याज की छूट इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाले समायोजनों का वित्त लेखे में लेखांकन न किया जाना है

[14] अन्तर **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या अ 1, अ 7, अ 11, ब 3, स 6, स 7, स 21 एवं स 27 में उल्लिखित आठ पीएसयू से सम्बन्धित है

[15] ₹ एक करोड़ से कम की इक्विटी तथा ऋण

[16] उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्स्टाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड

इनमें से कम से कम कुछ पीएसयू बन्द नहीं करने चाहिए, भावी भुगतान, यदि कोई हो, अनुदान के रूप में दिये जाने चाहिये।

लेखाओं के लम्बित अन्तिमीकरण

1.9 कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनियों के वार्षिक वित्तीय विवरणों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात् सितम्बर के अन्त तक अन्तिमीकृत किए जाने का प्रावधान करता है। ऐसा करने में विफलता, दण्ड के प्रावधानों को आकर्षित कर सकती है, जो कि यह बताते हैं कि दोषी कम्पनी के प्रत्येक संबंधित अधिकारी को कारावास, जो कि एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है अथवा अर्थदण्ड जो कि पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु, जिसे पाँच लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनो का दण्ड दिया जायेगा।

सांविधिक निगमों के लेखाओं को उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम रूप देने, लेखापरीक्षा करने एवं विधान मण्डल में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

31 दिसम्बर 2017 को 44 कार्यरत कम्पनियों एवं छः सांविधिक निगमों के लेखे क्रमशः 14 वर्ष एवं पाँच वर्ष की अवधि से लम्बित थे, जैसा कि **परिशिष्ट–1.3** में वर्णित है।

57 कार्यरत पीएसयू में से, केवल सात पीएसयू[17] ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के अपने लेखाओं का अन्तिमीकरण किया था। शेष 50 पीएसयू के दिसम्बर 2017 तक 192 लेखे लम्बित थे। 50 पीएसयू में से, 26 पीएसयू के लेखे एक से दो वर्षों के लिए, 11 पीएसयू के तीन से पाँच वर्षों के लिए, 11 पीएसयू के छः से 10 वर्षों एवं दो पीएसयू के 10 वर्षों से अधिक से लम्बित थे जैसा कि **परिशिष्ट–1.3** में वर्णित है।

41 कार्यरत कम्पनियों[18] जिनके लेखे लम्बित हैं, के निदेशकों, जिन्होंने एक ही समय पर अलग–अलग विभागों में विभिन्न पद धारण किए एवं कम्पनी अधिनियम के उपरोक्त दण्डात्मक प्रावधानों के अधीन उत्तरदायी हैं, का विवरण **परिशिष्ट–1.4 (क) एवं (ख)** में दिया गया है।

1.10 उपरोक्त के अतिरिक्त, 31 दिसम्बर 2017 को एक[19] को छोड़कर सभी अकार्यरत पीएसयू के लेखे लम्बित थे। 46 अकार्यरत पीएसयू में से, 12[20] पीएसयू जिनके 315 लेखे एक से 29 वर्षों से लम्बित थे, 14 से 36 वर्षों से समापन की प्रक्रिया में थे। शेष अकार्यरत पीएसयू के लम्बित लेखाओं का विवरण तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8: अकार्यरत पीएसयू के लम्बित लेखे

वर्ष	अकार्यरत पीएसयू की संख्या	लम्बित लेखाओं की संख्या	अवधि जिनके लिए लेखे लम्बित[21] थे	वर्षों की संख्या जिनके लिए लेखे लम्बित थे
2014-15	27	413	1981- 82 से 2014-15	1 से 33
2015-16	26	422	1981-82 से 2015-16	1 से 34
2016-17	33	509	1981-82 से 2016-17	1 से 35

1.11 राज्य सरकार ने 22 कार्यरत पीएसयू को जिनके लेखे लम्बित थे, पिछले तीन वर्षों की अवधि में ₹ 56,273.05 करोड़ {इक्विटी : ₹ 44,308.92 करोड़ (नौं सरकारी कम्पनियों एवं एक सांविधिक निगम), ऋण : ₹ 4,103.20 करोड़ (छः सरकारी कम्पनियों

---

[17] **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या अ 1, अ 16 से अ 20 तथा अ 37

[18] **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या अ 2 से अ 7, अ 9 से अ 15, अ 21 से अ 36, अ 38 से अ 40 एवं अ 42 से अ 50 में उल्लिखित 41 कम्पनियां। **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या अ 8, अ 41 एवं अ 51 में उल्लिखित तीन कम्पनियों ने सूचना प्रदान नहीं की

[19] उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड

[20] **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या स 2, स 3, स 10, स 12, स 13, स 14, स 16, स 17, स 19, स 22, स 23 एवं स 25 तथा **परिशिष्ट–1.2** की क्रम संख्या 1, 7, 8, 9, 13, 24 एवं 25

[21] लम्बित लेखाओं की अवधि में 12 कम्पनियों के समापन में जाने की अवधि तक के लम्बित लेखे सम्मिलित हैं

एवं एक सांविधिक निगम), अनुदान : ₹ 2,020.77 करोड़ (आठ सरकारी कम्पनियों एवं एक सांविधिक निगम) एवं अन्य (सब्सिडी): ₹ 5,840.16 करोड़ (चार सरकारी कम्पनियों)} की बजटीय सहायता प्रदान की जैसा कि **परिशिष्ट–1.5** में वर्णित है। इसमें से ₹ 20,908.98 करोड़ की बजटीय सहायता, 14 पीएसयू[22] को वर्ष 2016–17 के दौरान दी गयी।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में तीन अकार्यरत पीएसयू, जिनके लेखे लम्बित थे, को ₹ 7.03 करोड़ (ऋण) की बजटीय सहायता प्रदान की थी जैसा कि **परिशिष्ट–1.5** में वर्णित है। इसमें से ₹ 4.54 करोड़ की बजटीय सहायता वर्ष 2016–17 में इन पीएसयू को दी गयी थी।

राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त पीएसयू, जिनके लेखे लम्बित थे, को बजटीय सहायता प्रदान करने का निर्णय अविवेकपूर्ण था क्योंकि राज्य सरकार के पास इन पीएसयू की वित्तीय सुदृढ़ता को आकलित करने का कोई आधार नहीं था। तथ्य से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी पीएसयू, जिन्होंने राज्य सरकार से ऋण प्राप्त किया, ने ब्याज का भुगतान भी नहीं किया था।

संस्तुतियां:

1. **वित्त विभाग और सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य पीएसयू अपने लेखों को अद्यतन करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें ताकि इन पीएसयू के निदेशक निरन्तर कम्पनी अधिनियम तथा राज्य सांविधिक निगमों को नियन्त्रित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों के दोषी न बने रहें।**

2. **वित्त विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि बजटीय सहायता उन्हीं पीएसयू तक विस्तारित की जाए, जिनके लेखें अद्यतन है।**

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

1.12 सांविधिक निगमों के सम्बन्धित अधिनियम प्राविधानित करते हैं कि सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को वार्षिक साधारण सभा में रखे जाने के पश्चात् सरकार द्वारा शीघ्र ही विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। तथापि, यह देखा गया कि राज्य सरकार छः सांविधिक निगमों से संबंधित सीएजी के (31 दिसम्बर 2017 तक) पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) के प्रस्तुतिकरण में अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रही जैसा कि नीचे तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: सांविधिक निगमों के सन्दर्भ में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण

क्रम सं0	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर राज्य विधानमण्डल में रखी गई	वर्ष जिनकी एसएआर राज्य विधानमण्डल के समक्ष नहीं रखी गई	
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि
1	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2011–12	2012–13 2013–14 2014–15	6 जून 2014 2 सितम्बर 2015 24 मार्च 2017
2	उत्तर प्रदेश वित्त निगम	2007–08	2008–09 2009–10 2010–11	20 मई 2011 13 अप्रैल 2012 27 अगस्त 2012

[22] उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

तालिका 1.9: सांविधिक निगमों के सन्दर्भ में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण				
क्रम सं0	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर राज्य विधानमण्डल में रखी गई	वर्ष जिनकी एसएआर राज्य विधानमण्डल के समक्ष नहीं रखी गई	
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि
			2011–12 2012–13	16 सितम्बर 2013 12 नवम्बर 2015
3	उत्तर प्रदेश वन निगम	--[23]	2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15	9 मार्च 2011 16 नवम्बर 2011 21 सितम्बर 2012 11 जुलाई 2013 6 जून 2014 21 अप्रैल 2015 17 अक्टूबर 2016
4	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2010–11	2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16	16 सितम्बर 2013 7 नवम्बर 2014 20 अगस्त 2015 15 नवम्बर 2016 23 फरवरी 2017
5	उत्तर प्रदेश जल निगम	2007–08	2008–09 2009–10 2010–11 2011–12	3 अगस्त 2011 20 मई 2013 12 दिसम्बर 2013 25 मई 2017
6	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2011–12	2012–13 2013–14 2014–15	29 जून 2015 20 जुलाई 2016 27 जून 2017

स्रोत : निगमों द्वारा उपलब्ध करायी गयी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

राज्य सरकार ने विगत पाँच वर्षों में दो सांविधिक निगमों[24] को ₹ 2,947.97 करोड़ (₹ 100.00 करोड़ इक्विटी, ₹ 50.00 करोड़ ऋण एवं ₹ 2,797.97 करोड़ अनुदान) की बजटीय सहायता प्रदान की है। उत्तर प्रदेश जल निगम (यूपीजेएन) में वित्तीय जवाबदेही की कमियाँ इतनी गम्भीर[25] हैं कि यूपीजेएन के वर्ष 2011–12 के लेखों (2017–18 में अन्तिमीकृत) पर सीएजी ने अभिमत देने से मना कर दिया है। राज्य सरकार ने यूपीजेएन को 2012–17 के मध्य, जब इसके लेखे लम्बित थे, एवं यूपीजेएन की वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं था, ₹ 171.35 करोड़ का ऋण दिया।

इसके अतिरिक्त, राज्य विधानमण्डल के समक्ष पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के न रखने के कारण गम्भीर अनियमितताएं विधानमण्डल के संज्ञान में नहीं लायीं जा सकीं, जैसा कि **परिशिष्ट–1.6** में वर्णित है।

संस्तुतिः

वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सांविधिक निगमों के एसएआर विधानमण्डल में अति–शीघ्र रखे जाएं, और ऐसे निगमों जिनके लेखे लम्बित एवं/या त्रुटिपूर्ण हैं, को कोई और बजटीय सहायता विस्तारित न की जाए।

---

[23] उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 में सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा से सम्बन्धित संशोधन करने के उपरान्त वर्ष 2008–09 के लेखे प्रस्तुत किये थे

[24] उत्तर प्रदेश जल निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

[25] उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा आर्थिक चिट्ठा एवं आय–व्यय खाते में प्रदर्शित विभिन्न मदों से सम्बन्धित स्रोत/आधारभूत सूचना/लेखे प्रस्तुत नहीं किये जा सके

अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार पीएसयू का निष्पादन

1.13 2014–15 से 2016–17 की अवधि के अपने लेखों को अन्तिमीकृत करने वाले 40 पीएसयू[26] के निष्पादन के आकलन हेतु उपयोग किए गये प्रमुख वित्तीय अनुपात तालिका 1.10 में दिये गये हैं: (इसके अतिरिक्त विवरण ***परिशिष्ट–1.7*** में दिया गया है।)

तालिका 1.10: कार्यरत पीएसयू के महत्वपूर्ण सूचक					
विवरण	**महत्वपूर्ण सूचक (प्रतिशत में)**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**औसत**
लाभकारी पीएसयू	**आरओसीई**[27]	6.57	5.04	12.60	8.07
	आरओआई[28]	6.57	5.04	12.60	8.07
	आरओई[29]	1.01	1.95	3.55	2.17
अलाभकारी पीएसयू	**आरओसीई**	-32.07	-31.56	-31.11	-31.58
	आरओआई	-32.07	-31.56	-31.11	-31.58
	आरओई	-43.33	-42.00	-42.29	-42.54
ऋण की लागत		6.40	6.35	6.82	6.52
स्रोत : पीएसयू के अंतिमीकृत लेखों की सूचना के अनुसार					

1.14 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 677.94 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लिमिटेड (₹ 87.07 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 50.68 करोड़) लाभ में प्रमुख योगदानकर्ता थे। इन कम्पनियों का आरओआई 2014–15 एवं 2016–17 के मध्य 1.17 से लेकर 22.19 प्रतिशत के बीच था। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार भारी हानि वहन करने वाले पीएसयू उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 12,669.08 करोड़) तथा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,036.31 करोड़) एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,836.84 करोड़) थे।

1.15 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति बनाई थी (अक्टूबर 2002) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा दी गई चुकता अंशपूंजी पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत का प्रतिफल देना आवश्यक है। तद्नुसार, 18 पीएसयू[30] को लाभांश नीति के अनुसार लाभांश घोषित करने की आवश्यकता थी। तथापि, केवल आठ पीएसयू[31] ने ₹ 6.54 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष 10 लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू[32] द्वारा ₹ 507.48 करोड़ का लाभांश, जैसा कि राज्य सरकार की नीति में वर्णित था, घोषित नहीं किया गया।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू को, लाभांश नीति (अक्टूबर 2002) को अपनाने की तिथि से, लाभांश के बकाया (₹ 582.61 करोड़) को सरकारी खाते में प्रेषित करने हेतु निर्देशित करना चाहिए।

1.16 कम्पनी अधिनियम, 2013 यह प्रावधानित करता है कि प्रत्येक कम्पनी के निदेशक मण्डल की एक वर्ष में न्यूनतम चार बैठक हों। तथापि, यह देखा गया कि 51 कार्यरत

---

26 अकार्यरत पीएसयू या ऐसे पीएसयू जिनके लेखे लम्बित हैं, उनके वित्तीय अनुपात का आकलन नहीं किया जा सकता

27 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) = (लाभांश, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ/हानि)/नियोजित पूंजी

28 निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) = (लाभांश, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ)/निवेश

29 इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) = (करोपरान्त लाभ – पूर्वाधिकार लाभांश)/अंशधारक निधि

30 18 = कुल पीएसयू : 32–14 पीएसयू (तीन पीएसयू यथा उत्तर प्रदेश जल निगम, अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड एवं यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड दोनो श्रेणियों अर्थात संचित हानियों वाले एवं बिना सरकारी इक्विटी वाले, में आती हैं),

31 **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या अ 5, अ 11, अ 13 से अ 15, अ 22, अ 41 एवं अ 43

32 **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या अ 2 से अ 4, अ 8, अ 10, अ 12, अ 37, अ 39, अ 50 एवं ब 1

कम्पनियों में से 13 कम्पनियों[33] ने 2014–17 की अवधि में चार से कम बैठकों का आयोजन किया।

अकार्यरत पीएसयू का समापन

1.17 31 मार्च 2017 तक 46 अकार्यरत पीएसयू थे। इनमें से, 12 पीएसयू[34] ने विगत 14 से 36 वर्षों के दौरान समापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी, जो आधिकारिक परिसमापक एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पास लम्बित है। यद्यपि, शेष 34 पीएसयू[35] पिछले पाँच से 42 वर्षों से अकार्यरत हैं तथापि, राज्य सरकार द्वारा बन्द करने के आदेश दिये जाने के बावजूद, 31 कम्पनियाँ जिनका निबल मूल्य (नेट–वर्थ) (–) ₹ 744.48 करोड़ है, की समापन प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई है।

लेखा टिप्पणियाँ

1.18 वर्ष 2016–17[36] की अवधि में सैंतीस[37] कार्यरत कम्पनियों ने अपने 48 संप्रेक्षित लेखे[38] महालेखाकार को प्रेषित किए। इनमें से 31 कम्पनियों के 1998–99 से 2016–17 की अवधि के 37 लेखे[39] अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चुने गये। सीएजी के द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा, इंगित करती है कि लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में वृहद सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों का विवरण तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: कार्यरत कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2014–15		2015–16		2016–17	
		लेखाओं की संख्या	धनराशि	लेखाओं की संख्या	धनराशि	लेखाओं की संख्या	धनराशि
1.	लाभ में कमी	10	43.92	15	224.75	17	383.25
2.	हानि में वृद्धि	9	7.11	5	42.58	13	286.57
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	12	2,290.30	4	11,286.83	11	815.12
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	2	2.20	1	10.67	15	381.32

वर्ष के दौरान, सांविधिक अंकेक्षकों ने छः लेखाओं पर अनक्वालीफाईड प्रमाण पत्र, 40 लेखाओं पर क्वालीफाईड प्रमाण पत्र, एक लेखा[40] पर एडवर्स प्रमाण पत्र दिए थे। सांविधिक अंकेक्षक द्वारा भी चिन्ताजनक कमियाँ होने के कारण उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के 2016–17 में प्रस्तुत वर्ष 2008–09 के लेखों पर, अभिमत देने से मना कर दिया गया। निर्गत लेखांकन मानकों का कम्पनियों द्वारा अनुपालन असंतोषजनक रहा क्योंकि 33 कम्पनियों के 39 लेखाओं के 173 दृष्टान्तों में लेखांकन

[33] उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड, नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश डेवलेप्मेन्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा–मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

[34] **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या स 2, स 3, स 10, स 12 से स 14, स 16 से स 17, स 19, स 22, स 23 एवं स 25

[35] **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या स 1, स 4, स 5, स 6, स 7, स 8, स 9, स 11, स 15, स 18, स 20, स 21, स 24, स 26 से स 46

[36] अक्टूबर 2016 से सितम्बर 2017 की अवधि के दौरान

[37] **परिशिष्ट–1.1** की क्रम सख्या अ 1, अ 3, अ 4, अ 5, अ 6, अ 7, अ 8, अ 10, अ 11, अ 12, अ 13, अ 14, अ 15, अ 16, अ 19, अ 20, अ 22 से अ 35, अ 37, अ 38, अ 41, अ 42, अ 43, अ 46 तथा अ 51

[38] **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या अ 10, अ 16, अ 24, अ 37 तथा अ 46 में उल्लिखित प्रत्येक पीएसयू के दो लेखे, क्रम संख्या अ 3 पर उल्लिखित पीएसयू के तीन लेखे एवं क्र0 सं0 अ 8 पर उल्लिखित पीएसयू के पाँच लेखे सम्मिलित करते हुए

[39] सात कम्पनियों के 11 लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित नहीं किए गए। इन्हें गैर समीक्षा प्रमाणपत्र जारी किये गये

[40] उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड

मानकों का अनुपालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, 2016–17 की अवधि में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2015–16 के लेखाओं पर सीएजी ने भी एडवर्स प्रमाण पत्र जारी किया था।

1.19 इसी प्रकार, पाँच कार्यरत सांविधिक निगमों ने अपने पाँच लेखे[41] वर्ष 2016–17[42] की अवधि में महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से, चार सांविधिक निगमों[43] के चार लेखे सीएजी द्वारा एकल लेखापरीक्षा से संबंधित थे। शेष एक लेखा[44] अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चुना गया। सांविधिक अंकेक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सीएजी की एकल/अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में वृहद सुधार की आवश्यकता को इंगित करती है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों का विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है।

तालिका 1.12: कार्यरत सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2014–15		2015–16		2016–17	
		लेखाओं की संख्या	धनराशि	लेखाओं की संख्या	धनराशि	लेखाओं की संख्या	धनराशि
1.	लाभ में कमी	3	232.85	2	3.66	5	7.27
2.	हानि में वृद्धि	1	10.00	-	-	-	-
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	4	704.58	1	448.02	5	1,114.38
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	2	20.05	-	-	4	1,472.19

वर्ष के दौरान, पाँच लेखाओं[45] में से, उत्तर प्रदेश जल निगम के एक लेखे (2011–12) पर सीएजी ने चिन्ताजनक कमियां होने के कारण अभिमत देने से मना कर दिया एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के वर्ष 2015–16 के लेखे पर एडवर्स प्रमाण पत्र जारी किया गया। सांविधिक निगमों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि वर्ष के दौरान दो लेखों में अनुपालन नहीं होने के छः दृष्टान्त पाये गये।

संस्तुतिः

वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को उचित कार्यवाही हेतु उन 35 पीएसयू (31 कम्पनियां एवं चार सांविधिक निगम) के कार्यकलापों की अतिशीघ्र समीक्षा करनी चाहिए जहाँ सीएजी/सांविधिक लेखापरीक्षकों ने क्वालीफाईड टिप्पणियां, एडवर्स टिप्पणियां दी थीं तथा अभिमत देने से मना कर दिया था।

लेखापरीक्षा के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं प्रस्तर

1.20 एक निष्पादन लेखापरीक्षा, एक दीर्घ प्रस्तर, एक अनुसरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं छः संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सरकार/कम्पनी प्रबंधन को निर्गत (जून 2017 से फरवरी 2018 तक) किये गये थे। प्रबंधन के उत्तर प्राप्त हो गये थे। राज्य सरकार से एक निष्पादन लेखापरीक्षा, एक दीर्घप्रस्तर, एक अनुसरण लेखापरीक्षा और पाँच लेखा प्रस्तरों के सम्बन्ध में उत्तर अभी तक (सितम्बर 2018) प्रतीक्षित थे।

[41] उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (वर्ष 2014–15 के लिए), उत्तर प्रदेश वन निगम (वर्ष 2015–16 के लिए), उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (वर्ष 2015–16 के लिए), उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (वर्ष 2015–16 के लिए) एवं उत्तर प्रदेश जल निगम (वर्ष 2011–12 के लिए)

[42] अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2017 की अवधि के लिए

[43] उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश जल निगम तथा उत्तर प्रदेश वन निगम

[44] उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

[45] **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या ब 1, ब 2, ब 4, ब 5 तथा ब 6

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

अप्राप्त उत्तर

1.21 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की समाप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी से उपयुक्त एवं समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, उ0प्र0 सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को, भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां, प्रतिवेदनों के राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण के दो से तीन माह के अन्दर, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत (जून 1987) किये। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति को तालिका 1.13 में दिया गया है।

तालिका 1.13: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (31 दिसम्बर 2017 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक/पीएसयू) का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीए) एवं प्रस्तर		पीए/प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं	
		पीए	प्रस्तर	पीए	प्रस्तर
2011-12	16 सितम्बर 2013	2	14	1	6
2012-13	20 जून 2014	1	19	1	2
2013-14	17 अगस्त 2015	2	15	2	9
2014-15	8 मार्च 2016	6	12	6	11
2015-16	18 मई 2017	6	11	6	11
योग		**17**	**71**	**16**	**39**

संस्तुतिः

सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग के निर्देशों (जून 1987) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर समय से प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श

1.22 31 दिसम्बर 2017 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयू) में सम्मिलित एवं कोपू[46] द्वारा विचार विमर्श किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों की स्थिति तालिका 1.14 में दी गयी है।

तालिका 1.14: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रस्तरों जिन पर विचार विमर्श किया गया (31 दिसम्बर 2017 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रस्तरों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		जिनपर चर्चा हुई	
	पीए	प्रस्तर	पीए	प्रस्तर
1982-83 से 2010-11	138[47]	914	78	545
2011-12	2	14	0	4
2012-13	1	19	0	7
2013-14	2	15	0	3
2014-15	6	12	0	0
2015-16	6	11	0	0
कुल	**155**	**985**	**78**	**559**

[46] सार्वजनिक उपक्रम समिति

[47] उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चीनी मिलों के विक्रय पर पृथक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को शामिल करते हुए

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.23 कोपू के आन्तरिक कार्य नियमावली में महालेखाकार द्वारा कार्यान्वयन आख्या (एटीएन) के पुनरीक्षण हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, कोपू की संस्तुतियों पर एटीएन विभागों द्वारा महालेखाकार को केवल कमेटी द्वारा एटीएन पर विचार–विमर्श के समय उपलब्ध कराये जाते हैं। इसलिए, एटीएन की स्थिति की चर्चा यहाँ नहीं की गयी है।

राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पीएसयू की पुनर्संरचना

1.24 25 अगस्त 2000 से पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, उस समय विद्यमान 42 पीएसयू[48] की सम्पत्तियों एवं दायित्वों को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विभाजित किया जाना था। तथापि, मार्च 2018 तक यह क्रियान्वयन छः पीएसयू[49] के सम्बन्ध में पूरा नहीं किया गया है।

संस्तुतिः

चूँकि राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् लगभग दो दशक बीत चुके हैं, राज्य सरकार को उत्तराखण्ड सरकार के साथ मिलकर छः पीएसयू जिसमें 31 मार्च 2001 तक राज्य सरकार का ₹ 6,174.40 करोड़ का निवेश था, की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के त्वरित विभाजन हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.25 राज्य डिस्कॉम के परिचालन एवं वित्तीय कुशलता में सुधार के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय बदलाव के लिए उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का शुभारंभ (नवम्बर 2015) किया।

चिह्नित किए गए वित्तीय एवं परिचालन लक्ष्यों द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) एवं डिस्कॉम[50] की तरफ से उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित (जनवरी 2016) हुआ।

31 मार्च 2018 को एमओयू के अन्तर्गत निर्धारित महत्वपूर्ण वित्तीय एवं परिचालन लक्ष्यों के संबंध में प्रत्येक डिस्कॉम द्वारा अब तक की गई प्रगति एवं उनकी उपलब्धियों को **परिशिष्ट–1.8** में दिया गया है। उदय योजना के अन्तर्गत डिस्कॉम की समग्र वित्तीय एवं परिचालन उपलब्धियां तालिका 1.15 में दी गयी हैं।

तालिका 1.15: डिस्कॉम द्वारा उदय योजना का कार्यान्वयन

मापदण्ड	एमओयू के अनुसार लक्ष्य अवधि	लक्ष्य	उपलब्धि
वित्तीय			
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश डिस्कॉम के ऋण ₹ 59205 करोड़ के	2015-16 (वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही)	₹ 29,602 करोड़	₹ 29,602 करोड़ 2015–16 में अधिग्रहीत किया गया।

[48] **परिशिष्ट–1.1** के क्रम संख्या अ 1, अ 3 से अ 15, अ 22, अ 24, अ 26, अ 34, अ 35, अ 37, अ 39, अ 40 से अ 43, अ 50, अ 51, ब 2, ब 4, ब 6, स 2 से स 5, स 7, स 9, स 10, स 11, स 21, स 27, स 29 और स 30

[49] उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

[50] मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड

तालिका 1.15: डिस्कॉम द्वारा उदय योजना का कार्यान्वयन			
मापदण्ड	एमओयू के अनुसार लक्ष्य अवधि	लक्ष्य	उपलब्धि
75 प्रतिशत का अधिग्रहण	2016-17 (30 जून 2016 तक)	₹ 14,801 करोड़	₹ 14,801 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016–17 में वहन किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश डिस्कॉम की भावी हानियों का अधिग्रहण	2017-18	2016–17 की 5 प्रतिशत हानि (₹ 409.93 करोड़)	राज्य सरकार द्वारा 2017–18 में ₹ 409.93 करोड़ दिया गया।
एटी एवं सी हानि[51] में कमी (प्रतिशत में)	2015-16	32.36	38.41 (अप्राप्त)
	2016-17	28.27	30.22 (आंशिक प्राप्त)
	2017-18	23.63	27.67 (आंशिक प्राप्त)
एसीएस – एआरआर अंतर में कमी[52]	2016-17	₹ 1.04/ केडब्ल्यूएच	₹ 0.62/ केडब्ल्यूएच (अप्राप्त)
	2017-18	₹ 0.60/ केडब्ल्यूएच	₹ 0.37/ केडब्ल्यूएच (आंशिक प्राप्त)
बिलिंग क्षमता (प्रतिशत में)	2015-16	76.43	78.33 (प्राप्त)
	2016-17	78.29	78.91 (प्राप्त)
	2017-18	80.82	79.15 (आंशिक प्राप्त)
संग्रहण क्षमता (प्रतिशत में)	2015-16	88.50	78.63 (अप्राप्त)
	2016-17	91.64	88.43 (आंशिक प्राप्त)
	2017-18	94.50	91.39 (आंशिक प्राप्त)
ससमय टैरिफ संशोधन	2015-16	नवम्बर 2014	नवम्बर 2014
	2016-17	नवम्बर 2015	दिसम्बर 2015
	2017-18	नवम्बर 2016	जून 2017
परिचालन संबंधी			
वितरण परिवर्तक मीटरिंग (संख्या में)	30 सितम्बर 2017 तक 100 प्रतिशत	3,82,460	1,97,235 (अप्राप्त)
फीडर मीटरिंग (संख्या में)	30 सितम्बर 2016 तक 100 प्रतिशत	16,072	16,072 (प्राप्त)
फीडर अलगाव (संख्या में)	2016-17	1,660 (30 प्रतिशत)	0 (अप्राप्त)
	2017-18	3,597 (65 प्रतिशत)	374 (अप्राप्त)
11 केवी ग्रामीण फीडर की लेखापरीक्षा (संख्या में)	2016-17	847 (10 प्रतिशत)	2,515 (प्राप्त)
	2017-18	2,542 (30 प्रतिशत)	6,505 (प्राप्त)
200 केडब्ल्यूएच के ऊपर 500 केडब्ल्यूएच तक की स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	2017-18	1.56 लाख	0 (अप्राप्त)
500 केडब्ल्यूएच या इसके ऊपर की स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	2016-17	1.11 लाख	0 (अप्राप्त)
	2017-18	1.12 लाख	0 (अप्राप्त)

[51] कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानि, तकनीकी हानि, वाणिज्यिक हानि एवं बिल्ड धनराशि की गैर प्राप्ति के कारण हुई कमी का कुल योग है

[52] आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) – औसत राजस्व उगाही (एआरआर) का अन्तर

तालिका 1.15: डिस्कॉम द्वारा उदय योजना का कार्यान्वयन

मापदण्ड	एमओयू के अनुसार लक्ष्य अवधि	लक्ष्य	उपलब्धि
विद्युत असंयोजित घरों तक बिजली की पहुँच (संख्या में)	2019-20	143.54	कार्यान्वयन प्रगति में
उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी का वितरण (संख्या में)	2016-17	50.00 लाख	148.25 लाख (प्राप्त)
	2017-18	80.00 लाख	82.33 लाख (प्राप्त)

तीन डिस्कॉम (मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) द्वारा एटी एवं सी हानि में कमी एवं चार डिस्कॉम (मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) द्वारा एसीएस–एआरआर अन्तर एवं संग्रहण क्षमता को छोड़कर, डिस्कॉम द्वारा एमओयू में निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। जहाँ तक परिचालन लक्ष्यों का संबंध है, डिस्कॉम की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी भी 1.44 करोड़ ऐसे घर हैं जिनकी विद्युत तक पहुंच नहीं है। स्मार्ट मीटरिंग में शून्य/धीमी प्रगति थी और फीडर अलगाव में नाम मात्र की प्रगति की गयी थी। इस प्रकार, पाँच डिस्कॉम का परिचालन परिवर्तन, जैसा कि एमओयू में परिकल्पित किया गया था, अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका।